

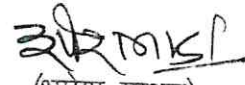
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-471) अलेसे-1/13३

दिनांक:- २७/०५/२२

आदेश

श्री रमेश चन्द, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिंक नं० 2117), कार्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, एनसीआर क्षेत्र अलवर ने स्वयं के नाम परिवर्तन के लिए राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम-8 के निर्णय संख्या 5 की पालना पूर्ण कर ली है। अतः श्री रमेश चन्द, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिंक नं० 2117), कार्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, एनसीआर क्षेत्र अलवर का नाम परिवर्तित कर, "श्री रमेश चन्द" के स्थान पर "श्री रमेश चन्द जाटव" करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।


(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (आर-471) अलेसे-1/13३

दिनांक:- २७/०५/२२

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, एनसीआर क्षेत्र अलवर।
2. श्री रमेश चन्द जाटव, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, एनसीआर क्षेत्र अलवर।
3. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/निजी पत्रावली/गार्ड फाइल।


(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)